



2026:AHC:2026

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 2224 सन् 2026

विशाल चक्रवर्ती

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजीव उपाध्याय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

ममाननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनवर हुसैन और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. इस याचिका में एकमात्र प्रार्थना उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ बैंक के अधिकारियों (दंड और अपील नियमावली, 1999) के नियम 25 के तहत विभागीय पुनरीक्षण के निपटान के लिए है, जो आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.03.2025 के विरुद्ध प्रधान सचिव, गृह, गृह (पुलिस), अनुभाग- 1, एनेक्सी भवन, लखनऊ के समक्ष लंबित है।
3. विद्वान स्थायी वकील को इस पर कोई आपाते नहीं है।
4. बार द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को आज से दो महीने की अवधि के भीतर लंबित विभागीय पुनरीक्षण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"